संख्या-43/2021/829/30-3-21-6बी/2014

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 30 मार्च, 2021**

विषय- सड़क सुरक्षा कैम्पेन के प्रदेश व्यापी प्रचार-प्रसार हेतु परिवहन निगम की साधारण बसों पर वाह्य एवं बैक पैनल पर उपलब्ध स्थान पर प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-570स0सु0/2021-09स0सु0/2018, दिनांक 04-03-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 26-02-2020 के अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सड़क सुरक्षा कोष (राजस्व मद) में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष सड़क सुरक्षा कैम्पेन के प्रदेश व्यापी प्रचार-प्रसार हेतु परिवहन निगम की 3000 साधारण बसों पर वाह्य एवं बैक पैनल पर उपलब्ध स्थान पर प्रचार-प्रसार कराये जाने हेतु धनराशि रू0 527.52 लाख (रू0 पांच करोड़ सत्ताईस लाख बावन हजार मात्र) की अग्रिम आहरण किये जाने की स्वीकृति सहित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31 मार्च 2021 तक अवश्य कर दिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तकित आंकड़ों में भी समायोजन सुनिश्चित कराते हुए अवगत करायेंगे।

(4) धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिन कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यलय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष "3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-43/2021/829(1)/तीस-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।